भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्न सं.144***
वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य पर युद्ध का प्रभाव

***144. श्री श्याम सिंह यादव :**
डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई अनुमान लगाया है कि यूक्रेन-रूस युद्ध का भारतीय उद्योग और वाणिज्य पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यूक्रेन-रुस युद्ध के दृष्टिगत अर्थव्यवस्था में कोई वित्तीय प्रोत्साहन लाने का इरादा रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

"भारतीय उद्योग तथा वाणिज्य पर युद्ध का प्रभाव" के संबंध में 27 जुलाई 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 144 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) उद्योग से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, भारत से कुछ उत्पादों का निर्यात प्रभावित है, जैसेकि फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार उपकरण, चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद आदि। तथापि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार में सुधार हुआ है। युद्ध परिदृश्य के यथार्थ निहितार्थ का आकलन स्थिति के स्थिर होने के बाद ही किया जा सकता है।

वैश्विक आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, 2022-23 की प्रथम तिमाही में उच्च आवृत्ति संकेतक (एचएफआई) पिछली तिमाही की तुलना में अर्थव्यवस्था में सतत विकास गति दर्शा रहे हैं।

(ग) और (घ): सरकार ने जीडीपी के सकल राजकोषीय घाटा अनुपात बजट-विहित 6.4 प्रतिशत के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में राजकोषीय प्रोत्साहन के लिए प्रावधान किया है।

***

भारत सरकार | **लोक सभा**
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | **तारांकित प्रश्न संख्या *155**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध

***155. श्री गोपाल शेट्टी:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार द्वारा चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कदम उठाए गए है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

***

'चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध' के संबंध में दिनांक 27 जुलाई 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ख): भारत और चीन, दोनों विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, और किसी भी अधिरोपित व्यापार प्रतिबंध का विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होना आवश्यक है। सरकार ने समग्र वैश्विक व्यापार कार्यनीति के लिए विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की है और विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपाय किए हैं।

भारत ने आयात पर कोई देश विशिष्ट प्रतिबंध अधिरोपित नहीं किया है। तथापि, सरकार की आयात नीति के अनुसार, भारत में आयातित सभी वस्तुएं घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों के अधीन हैं जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है और यदि इन विनियमों का उल्लंघन होना अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निहितार्थ होना पाया जाता है तो सरकार उचित कार्रवाई करती है, जिसमें वस्तुओं पर प्रतिबंध भी शामिल है ।

सरकार की आयात नीति वस्तुओं के लिए 'मुक्त' है सिवाय जब वह i) सार्वजनिक नैतिकता, (ii) मानव, पशु अथवा पादप जीवन सुरक्षा तथा स्वास्थ्य (iii) पेटेंट और कॉपीराईट की सुरक्षा, (iv) कलात्मक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूल्य के राष्ट्रीय कोष की सुरक्षा, (v) क्षयशील संसाधनों का संरक्षण; (vi) विखंडनीय सामग्रियों में व्यापार की रोकथाम; (vii) आयुध, गोला-बारूद एवं युद्ध हथियार के अवैध व्यापार के आधार पर राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से 'निषेध', 'प्रतिबंध' और 'अनन्य व्यापार' द्वारा विनियमित किया जाता है।

यदि भारतीय उद्योग को आयात में वृद्धि या अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण 'गंभीर रूप से क्षति होती है या 'क्षति का जोखिम' होता है तो व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अतिरिक्त शुल्क अथवा मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) के अधिरोपण द्वारा उत्पाद के आयात पर प्रतिबंधों की सिफारिश करने का अधिकार है। वर्तमान में, चीन के उत्पादों पर 61 पाटनरोधी और 4 प्रति संतुलनकारी शुल्क उपाय लागू हैं।

उद्योग विशिष्ट उपाय के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(i) खिलौनों के लिए, सरकार ने दिनांक 25 फरवरी 2020 को खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया है, जिसके माध्यम से खिलौनों को 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन के तहत लाया गया है। यह क्यूसीओ समान रूप से घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ विदेशी निर्माताओं पर भी लागू होता है जो भारत में अपने खिलौने निर्यात करने का

आशय रखते हैं। इस क्यूसीओ के अनुसार, खिलौनों के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप होना और बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक आईएसआई चिह्न धारण करना अनिवार्य है और कोई भी व्यक्ति आईएसआई मार्क के बिना किसी खिलौने का निर्माण, आयात , वितरण, बिक्री, किराये, पट्टे, स्टोर या बिक्री के लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। इससे अवमानक खिलौनों के आयात पर अंकुश लगेगा।

(ii) इसी प्रकार, "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2012" के तहत अनिवार्य पंजीकरण मोबाइल फोन सहित 63 अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सुरक्षा मानकों का समाधान करता है। इन वस्तुओं का वैध पंजीकरण और मानक चिह्न के बिना भंडारण, बिक्री, आयात, निर्माण आदि निषिद्ध है।

(iii) रसायन और उर्वरक क्षेत्र में, सरकार ने दिनांक 16.6.2020 को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए हैं, जिसके तहत भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 16 के अनुसार, 14 रसायन संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेंगे ।

(iv) एयर कंडीशनरों जैसे विद्युत मशीनरी क्षेत्र में, सरकार ने एयर कंडीशनर और उसके संबंधित भागों, हर्मेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदन नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2019 जारी किया है, जो निर्दिष्ट करता है कि निर्दिष्ट सामान संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप होगा और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की योजना-I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न और मानक चिह्न धारण करेंगे।

घरेलू क्षमताओं का समर्थन और विस्तार करने के लिए, सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, 197,000 करोड़ रूपए के अनुमानित परिव्यय पर उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू किया है जिसमें अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ ड्रग इंटरमीडिएट और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, चिकित्सा उपकरण, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, उन्नत रसायन सैल बैटरी, घरेलू सामान, वस्त्र उत्पाद, विशिष्ट स्टील, ड्रोन और ड्रोन घटक, आदि जैसे क्षेत्रों को कवर किया जाता हैं। इसके अलावा सेमी कंडकटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 76000 करोड़ रूपए की धनराशि की स्कीम तैयार की है।

(ग): उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1612

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चावल का निर्यात

1612. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले चावल की मात्रा में गैर-बासमती चावल की बड़ी मात्रा होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार देश में गैर-बासमती चावल की बिक्री को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : बासमती चावल भारत-गंगा के मैदानों तक सीमित, परिमित उत्पादन आधार के साथ एक प्रीमियम जीआई-टैग उत्पाद है। इसकी ऊंची कीमत के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में बासमती चावल एक आला उत्पाद है। चूंकि भारत में उत्पादित चावल की अन्य सभी किस्मों को गैर-बासमती चावल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसका निर्यात भारत से चावल के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। पिछले दो वर्षों में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और भारतीय चावल के प्रतिस्पर्धी मूल्य के कारण गैर-बासमती चावल के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) गैर-बासमती चावल का उपयोग आबादी के एक बड़े हिस्से द्वारा मुख्य आहार के रूप में किया जाता है और भारत में पहले से ही इसका एक बड़ा खपत आधार है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1672

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश व्यापार नीति

1672 श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महामारी से उपजी अनिश्तिताओं के कारण वर्तमान विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 को पुनः कम से कम छह महीने तक बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) और (ख): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–20 जो पांच वर्षों की अवधि के लिए घोषित की गई थी, को कोविड–19 की वजह से एक वर्ष की अवधि के लिए 31 मार्च, 2021 तक और इसके बाद दिनांक 30.09. 2021 तक आगे बढाया गया था। कोविड–19 का प्रभाव जारी रहने के कारण विदेश व्यापार नीति 2015–20 को पुनः 31 मार्च, 2022 तक आगे बढाया गया था। इसके पश्चात, रुस और यूक्रेन के संघर्ष के मद्देनजर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं के कारण विदेश व्यापार नीति 2015–20 को दिनांक 30.09.2022 तक आगे बढाया गया। वर्तमान में नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) को तैयार करने का कार्य चल रहा है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.1678**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी देश सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ व्यापार

1678. श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का खाड़ी देश सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा खाड़ी देशों को किए गए कुल निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) खाड़ी देश सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ भारत के व्यापार के लिए आवश्यकताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाड़ी देशों में आधे एनआरआई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या दोनों देशों में स्टार्टअप क्षेत्र में तेजी लाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर के बीच स्टार्ट-अप ब्रिज शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या असम की चाय उक्त खाड़ी देशों को निर्यात की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत और जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2020-21 में 87.35 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 154.66 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 77.06% की वृद्धि दर्ज कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से, भारत और

जीसीसी के बीच द्विपक्षीय व्यापार में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर आधार पर 10.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

(ख) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जीसीसी को भारत के निर्यात का विवरण इस प्रकार है:

जीसीसी को भारत का कुल निर्यात						
मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में						
क्र.सं.	देश	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	बहरीन	0.56	0.74	0.56	0.53	0.90
2	कुवैत	1.37	1.33	1.29	1.05	1.24
3	ओमान	2.44	2.25	2.26	2.36	3.15
4	कतर	1.47	1.61	1.27	1.28	1.84
5	सऊदी अरब	5.41	5.56	6.24	5.86	8.76
6	यूएई	28.15	30.13	28.85	16.68	28.04
	कुल जीसीसी	**39.39**	**41.62**	**40.47**	**27.76**	**43.93**

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) भारत और छह जीसीसी देश बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं। भारत और यूएई ने हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) संपन्न किया जो 01 मई 2022 को लागू हुआ। डब्ल्यूटीओ/द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों में किसी भी अन्य भागीदार देश की तरह, जीसीसी देशों के साथ व्यापार में भी मौजूदा व्यापार समझौतों के तहत भारत और संबंधित भागीदार देशों के संगत सीमा शुल्क कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा शुल्क, तकनीकी मानक, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, निर्यात और आयात लाइसेंसिंग उपाय, लेबलिंग, पैकेजिंग और विपणन आवश्यकताएं, और भारत और भागीदार देशों के कोई अन्य प्रासंगिक नियम और विनियम शामिल हैं।

(घ) खाड़ी देशों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विगत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) की अनुमानित संख्या निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	**देश**	**देश में रह रहे अप्रवासी भारतीयों की अनुमानित संख्या (लाख में)**
1.	बहरीन	3.20
2.	कुवैत	10.29

3.	मस्कट	6.26
4.	कतर	7.80
5.	सऊदी अरब	21.60
6.	यूनाईटेड अरब अमीरात	35

(ड.) जी हाँ। इन्वेस्ट इंडिया, दोहा में भारतीय दूतावास, कतर और इन्वेस्ट कतर के सहयोग से एक स्टार्टअप ब्रिज शुरू किया गया है। भारत-कतर स्टार्टअप ब्रिज का शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा 5 जून 2022 को दोहा में आयोजित भारत-कतर व्यापार मंच के दौरान किया गया था। इन दो तीव्र-गति और निरंतर बढ़ते पारिस्थितिक तंत्र का सहयोग से दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक विकास होगा और समृद्धि आएगी । इस स्टार्टअप ब्रिज की अधिक जानकारी स्टार्टअप इंडिया की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/international/india-qatar-bridge.html

(च) जीसीसी देशों सहित विभिन्न देशों में स्थित विभिन्न खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाय के व्यापारी निर्यातक असम सहित विभिन्न क्षेत्रों से चाय को मिलाकर मिश्रित चाय का निर्यात करते हैं, जीसीसी देशों को असम चाय निर्यात की सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1679

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात को बढ़ावा

1679. डॉ.सुजय विखे पाटील :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सहायता करने हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु आवंटित कुल निधि का क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा देश के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभार-तंत्र संबंधी बाधाओं को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर छूट संबंधी प्रावधान भी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईइएस) को वित्तीय वर्ष 2017-18 से लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है। इस

स्कीम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों (या उनके द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी वाले उनके संयुक्त उद्यम) को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्धन केंद्र, निर्यात मालगोदाम और पैकेजिंग, एसईजेड और पत्तन/हवाईपत्तन कार्गो टर्मिनस जैसे महत्वपूर्ण निर्यात लिंक के साथ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। स्कीम के दिशा-निर्देश https://commerce.gov.in/trade-promotion/trade-promotion-assistance/ पर उपलब्ध हैं।

टीआईइएस के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2022-23 (22 जुलाई, 2022 तक) के दौरान कुल 27 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों का उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से लागू वाणिज्य विभाग की "निर्यात हब के रूप में जिला पहल" (डीईएच) के तहत, डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण सीधे राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों एवं जिलों के साथ जिलों से चिन्हित उत्पादों/सेवाओं के निर्यात को सुगम बनाने के लिए राज्य और जिले में संस्थागत तंत्र बनाने के लिए काम करता है। सभी राज्यों में जिला विशिष्ट निर्यात प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है।

(ग) लॉजिस्टिक्स में अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) नामक एक जीआईएस आधारित प्रौद्योगिकी मंच लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य सभी मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजनाओं को समग्र रूप से एकीकृत करना और निर्यात खेप सहित लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को दूर करना है।

सरकार ने निर्यात कार्गो को सुगम बनाने के लिए कंटेनरों की कमी को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं:

(i) उपलब्धता में वृद्धि हेतु कंटेनरों के टर्नअराउंड में सुधार के लिए कंटेनर की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तंत्र को एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज (एनएलडीएस) द्वारा एक पोर्टल के विकास से सक्षम बनाया गया है ताकि के लिए किया जा सके, जिसे निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड द्वारा देखा जाता है।

(ii) फियो ने अग्रिम योजना और कंटेनरों की वास्तविक समय की मांग और आपूर्ति की स्थिति की बेहतर दृश्यता और खाली कंटेनरों को अधिकता के स्थानों से मांग के स्थानों पर फिर से तैनाती करने में सक्षम बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक पोर्टल लॉन्च किया है।

(iii) सीबीआईसी ने परित्यक्त/निरुद्ध/जब्त किए गए कंटेनरों के ठहराव समय की ट्रैकिंग और निगरानी के माध्यम से इन्हें छोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया था ताकि कंटेनर की उपलब्धता को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सके।

(घ) ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले आयातित इनपुट पर सीमा शुल्क और घरेलू इनपुट पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामलों पर छूट प्रदान करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के तहत संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	संवितरित ड्यूटी ड्राबैक (करोड़ रुपये में)*
2019-20	17,902.71
2020-21	18,128.05
2021-22	23,920.00

स्रोत: *सीबीआईसी, राजस्व विभाग

इसके अलावा, जीएसटी के तहत निर्यात पर कर छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निर्यातक या तो (i) वस्तुओं या सेवाओं दोनों के निर्यात पर चुकाए गए कर; या (ii) कर के भुगतान के बिना निर्यात की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में अप्रयुक्त इनपुट कर की वापसी का दावा करने के पात्र हैं ।

आईजीएसटी के भुगतान के साथ सेवाओं के निर्यात और आईजीएसटी के भुगतान के बिना वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के कारण निर्यातकों को जीएसटी के तहत रिफंड की गई राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	धनराशि (करोड़ रूपये में)**
2019-20	31632.61
2020-21	52050.25
2021-22	66781.89

स्रोत: **सीबीआईसी, राजस्व विभाग

***

<u>अनुबंध-I</u>

दिनांक 27.07.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1679 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

टीआईईएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण {वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 (22.07.2022 तक)}

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम, जहां परियोजना स्थित है	वर्ष	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी टीआईईएस निधि (करोड़ रुपये में)
1.	कर्नाटक	2019-20	0	2.65*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0.35*
		2022-23	1	5.46**
		कुल	1	8.46
2	केरल	2019-20	1	10
		2020-21	0	0
		2021-22	1	18.09*
		2022-23	0	0
		कुल	2	28.09
3	मणिपुर	2019-20	0	0
		2020-21	0	5.63*
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	0	5.63
4	आंध्र प्रदेश	2019-20	0	9.9856*
		2020-21	2	13
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	2	22.9856
5	तमिलनाडु	2019-20	5	15.91
		2020-21	1	14.4584*
		2021-22	4	22.94
		2022-23	0	2.82**
		कुल	10	56.1284
6	मध्य प्रदेश	2019-20	0	8.04*

		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	0	8.04
7	उत्तर प्रदेश	2019-20	0	0.48
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	0	0.48
8	महाराष्ट्र	2019-20	0	1.52*
		2020-21	1**	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	1	1.52
9	त्रिपुरा	2019-20	0	0
		2020-21	2**	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	2	0
10	पश्चिम बंगाल	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	6.83*
		2022-23	0	0
		कुल	0	6.83
11	हिमाचल प्रदेश	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	1	10
		2022-23	0	0
		कुल	1	10
12	हरियाणा	2019-20	1	0
		2020-21	0	6.06*
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	1	6.06
13	चंडीगढ़	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	2.82*
		2022-23	0	0
		कुल	0	2.82
14	असम	2019-20	2	5.7725

		2020-21	0	5.6875*
		2021-22	0	3.96*
		2022-23	0	0
		कुल	2	15.42
15	पंजाब	2019-20	2	0
		2020-21	0	5.77*
		2021-22	1	10
		2022-23	0	0
		कुल	3	15.77
16	झारखंड	2019-20	1	9.80
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	1	9.80
17.	सिक्किम	2019-20	0	0
		2020-21	1	8.87
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	1	8.87
	कुल संख्या		27	206.904
	*इसमें पूर्व में स्वीकृत परियोजना/पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नई परियोजना के लिए बाद की किश्तों का संवितरण शामिल है। ** अभी संवितरित किया जाना शेष है।			

***

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1689

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

"चीन के साथ व्यापार"

1689 . श्री एन. रेड्डप्पः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान चीन के साथ किए गए व्यापार का वर्ष-वार और वस्तु-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार, विशेषकर गलवान संघर्ष के बाद से, चीन से किए जाने वाले आयात पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए उपाय कर रही है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क): वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक भारत और चीन के बीच वस्तु-वार व्यापार का विवरण **अनुबंध-I** पर है।

(ख) एवं (ग): सरकार ने 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं आरंभ की हैं जो भारतीय विनिर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, कोर क्षमता/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी, निर्यात में वृद्धि करेगी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एकीकृत करेगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। जिन क्षेत्रों में पीएलआई की घोषणा की गई है वे i) प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/औषधि इंटरमीडिएट्स और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), ii) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, iv) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, v) फार्मास्युटिकल दवाएं, vi) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, vii) खाद्य उत्पाद, viii) घरेलू सामान (एसी और एलईडी), ix) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, x) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, xi) उन्नत केमिस्ट्री सेल बैटरी, xii) वस्त्र उत्पाद, xiii) विशेषता इस्पात और xiv) ड्रोन और ड्रोन घटक हैं। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पर्याप्त आयात होता है।

आयातित उत्पादों के मानकों/गुणवत्ता के रखरखाव के लिए कई उत्पादों के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) तैयार किए गए हैं। इससे घटिया उत्पादों के आयात पर रोक लगेगी।

अनुचित व्यापार के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति (लागू पाटन-रोधी उपाय-61, लागू प्रतिसंतुलनकारी शुल्क-4) से बचाने के लिए चीन से होने वाले आयातों के विरुद्ध कई व्यापार उपचारात्मक कार्रवाई की गई है।

सरकारी खरीद पोर्टल जीईएम ने विक्रेताओं के लिए उन उत्पादों पर 'मूल देश ' का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है , जिन्हें वे मंच के माध्यम से बेचना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देना है । इसके साथ ही, भारत में प्रचालनरत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों के मूल देश का उल्लेख करना होगा।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुबंध- I

चीन के साथ वस्तु-वार कुल व्यापार (2017-18 से 2021-22)

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

एचएस कोड	वस्तु	कुल व्यापार	कुल व्यापार	कुल व्यापार	कुल व्यापार	कुल व्यापार
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
01	जीवित पशु	0.07	0	0.01	0.05	0
02	मांस और खाद्य मांसाविष्ट	0.17	0	0.01	0.05	0
03	मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय इन्वर्टेब्रेट्स।	162.33	722.2	1338.62	862.2	1104.23
04	डेयरी उत्पाद; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल का खाद्य उत्पाद, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं।	0	0.95	2.08	1.54	11.5
05	पशु मूल के उत्पाद, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं।	8.96	13.66	9.07	8.07	11.26
06	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब; जड़ें और इसके समरूप; फूल और सजावटी पत्ते।	3.55	4.23	4.07	3.82	9.62
07	खाद्य सब्जियां और कुछ जड़ें और कंद।	67.83	57.17	92.22	81.72	117.43
08	खाद्य फल और मेवे; छिलका या खट्टे फल या खरबूजे	71.05	15.26	21.76	18.95	18.13
09	कॉफी, चाय, मेट और मसाले।	54.09	179.72	482.15	689.48	578.56
10	अनाज	0.14	1.3	1.08	119.08	511.87
11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इनुलिन; गेहूं का बना लासा।	15.35	20.4	18.02	13.13	21.75
12	तेल के बीज और ओलिया फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; भूसा और चारा	37	33.09	64.29	131.76	72.29
13	लाख; गम्स, रेजिन और अन्य सब्जी के रस और अर्क।	71.39	121.57	73.96	65.73	70.88
14	सब्जी व्यावर्तन सामग्री; सब्जी उत्पाद अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं।	41.37	42.14	58.81	78.04	71.08
15	पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके विच्छेदन उत्पाद; पूर्व. खाद्य वसा; पशु या सब्जी वेक्सेज	452.75	415.59	410.79	885.56	567.93
16	मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय इन्वर्टेब्रेट्स सामग्री	1.69	1.98	2.78	3.05	2.62
17	चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी	18.72	24.99	22.34	56.29	92.82
18	कोको और कोको सामग्री	1.88	1.99	2.14	1.62	1.53
19	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध सामग्री; पेस्ट्री कुक उत्पाद	1.39	1.65	1.79	1.17	2.24

20	सब्जियों, फलों, मेवा या पौधों के अन्य भागों की सामग्री	31.85	39.82	45.31	35.32	37.02
21	विविध खाद्य तैयारी	20.95	20.76	22.96	30.54	35.16
22	पेय पदार्थ, शराब और सिरका	8.72	1.03	3.21	5.58	2.43
23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा।	61.45	56.84	69.74	88.53	122.4
24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प।	3.12	2.71	6.24	5.98	4.89
25	नमक; सल्फर; पृथ्वी और पत्थर; पलस्तर सामग्री, चूना और सीमेंट।	782.61	845.6	753.02	736.05	1094.83
26	अयस्क, स्लैग और राख।	1290.08	1255.53	2388.14	4425.36	2587.92
27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज वेक्सेज	2511.65	3903.01	2635.17	1255.7	2787.56
28	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं या रेडी, ईएलईएम या आइसोटोप के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक	785.65	1113.78	852.13	770.82	1112.49
29	जैविक रसायन	9197.77	11845.46	10672.87	11390.59	14878
30	दवा उत्पाद	168.08	193.16	212.01	259.23	269.82
31	उर्वरक।	1072.77	2054.32	1823.56	1553.53	2956.53
32	टैनिंग या डाइंग अर्क; टैनिन और उनकी डेरी रंजक, रंगद्रव्य और अन्य रंग पदार्थ; पेंट्स और वेर; पुट्टी और अन्य मास्टिक्स; इन्क्स	685.42	763.02	884.69	885.2	1252.01
33	सुगंधित तेल और रेजिनोइड; इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय सामग्री	276.17	232.06	248.55	274.27	344.61
34	साबुन, कार्बनिक सतह-सक्रिय एजेंट, धुलाई सामग्री, रोगन सामग्री, कृत्रिम वेक्सेज, तैयार वेक्सेज, पॉलिशिंग या छानने की सामग्री	93.61	128.63	125.11	137.43	161.41
35	अल्बुमिनोइडल पदार्थ; संशोधित स्टार्च; गोंद; एंजाइम।	110.45	130.79	151.33	151.39	240.73
36		0.07	0.11	0.01	0	0
37	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामग्री	21.72	22.46	26.58	35.69	54.64
38	विविध रासायनिक उत्पाद।	1476.13	1433.45	1353.74	1555.52	1870.26
39	प्लास्टिक और उसकी वस्तुएँ।	2916.43	3827.12	3557.88	3479.73	4833.28
40	रबर और उसकी सामग्री	392.02	361.15	346.85	277.55	368.46
41	कच्ची खाल और चर्म (फरस्किन के अलावा) और चमड़ा	133.96	113.84	95.73	71.11	93.61
42	सैडलरी और हार्नेस सामग्री ; ट्रैवल गुड्स, हैंडबैग्स और इसी तरह के पशु आंत कॉन्टैक्ट्स सामग्री (अन्य थन सिल्क-डब्ल्यूआरएम) आंत	380.67	401.19	342.11	109.64	194.45

43	फरस्किन्स और कृत्रिम फर, इसके निर्माण।	2.54	3.46	2.61	1.13	1.84
44	लकड़ी और लकड़ी सामग्री, लकड़ी का कोयला	176.55	187.06	159.14	113.01	172.06
45	कॉर्क और कॉर्क सामग्री	0.2	0.76	1.03	0.28	0.45
46	स्ट्रॉ, एस्पार्टो या अन्य प्लेटिंग सामग्री का निर्माण; बास्केटवेयर और विकरवर्क।	2.12	2.84	3.42	2.39	3.53
47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्यूलोसिक सामग्री का गूदा; कागज या पेपरबोर्ड का कचरा और स्क्रैप।	18.46	23.27	31.07	30.36	25.36
48	कागज और पेपरबोर्ड; पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड सामग्री	589.98	601.09	615.79	653.72	744.85
49	मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चित्र और मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद; पांडुलिपियां, टंकित प्रति और योजनाएं।	25.12	21.58	24.15	13.76	30.19
50	रेशम	203.15	148.49	138.19	62.32	81.36
51	ऊन, जानवरों के महीन या मोटे बाल, अश्वबाल यार्न और बुने हुए कपड़े	40.75	58.7	50.74	23.13	46.63
52	कपास	1133.91	1907.82	896.07	1345.19	1356.24
53	अन्य वेजिटेबल टेक्सटाइल फाइबर्स; पेपर यार्न और पेपर यार्न के बुने हुए कपड़े	248.68	201.38	172.26	159.84	238.7
54	मानव निर्मित फिलामेंट्स	393.68	472.7	575.3	600.31	985.46
55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	358.13	369.94	411.91	405.02	480.91
56	वैडिंग, फेल्ट और नॉनवॉवन्स; स्थानिक यार्न; सुतली, डोरी, रस्सियाँ और केबल और उसकी सामग्री	108.37	124.13	111.13	116.14	162.03
57	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग	57.05	56.36	48.98	31.18	32.36
58	विशेष बुने हुए कपड़े; कल्गीदार कपड़ा कपड़े; फीता; टेपेस्ट्रीज़; ट्रिमिंग्स; कढ़ाई।	90.99	85.63	86.22	67.78	109.18
59	अंतर्भरित, लेपित, आच्छादित या लेमिनेटेड वस्त्र फैब्रिक्स; एक प्रकार की वस्त्र सामग्री जो औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त है	596.53	552.21	475.95	327.22	535.21
60	बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	460.52	416.3	390.3	361.83	477.11
61	परिधान और कपड़ों के सामान, बुना हुआ या कॉर्चेटेड सामग्री	209.66	240.18	235.39	161.08	212.11
62	परिधान और कपड़ों के सामान, बुना हुआ या क्रोकेटेड नहीं।	167.08	161.12	185.05	189.3	139.25
63	अन्य निर्मित वस्त्र वस्तुएं; सेट; पहने हुए कपड़े और पहने हुए वस्त्र सामग्री; लत्ता	198.69	205.43	198.67	251.59	188.13

64	फुटवियर, गेटर्स और इसके समरूप; ऐसी सामग्रियों के हिस्से	507.18	450.59	427.51	216.72	326.7
65	हेडगियर और उसके पुर्जे	14.1	17.39	20.6	18.29	19.73
66	छतरियां, सूरज की छतरियां, वाकिंग स्टीक, सीट स्टीक , चाबुक, राईडिंग क्रोप्स और उसके हिस्से	33.84	35.77	32.27	20.63	22.21
67	तैयार पंख और नीचे और पंख या डाउन से बने सामग्री; कृत्रिम फूल; मानव बाल सामग्री	167.92	160.62	206.81	308.61	508.68
68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टो, अभ्रक या इसी तरह की सामग्री	418.32	550.54	481.07	389.53	513.95
69	सिरेमिक उत्पाद	377.46	357.07	369.37	308.13	397.31
70	कांच और कांच के बने पदार्थ	564.17	638	631.37	499.46	708.89
71	प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्द्ध कीमती पत्थर, पूर्व धातु, पूर्व धातु और उसकी सामग्री से लिपटा हुआ ईएमआईटी.ज्वेलरी;सिक्का	786.29	746.16	201.77	200.59	358.27
72	लोहा और इस्पात	1945.14	1741.27	1635.24	3407.93	2727.68
73	लोहे या स्टील सामग्री	1533.71	1809.49	1670.74	1379.35	1764.69
74	कॉपर और उसकी सामग्री	1769.19	476.41	444.27	946.84	1567.9
75	निकेल और उसकी सामग्री	26.28	45.41	117.69	61.75	76.55
76	एल्यूमीनियम और उसकी सामग्री	781.52	1187.63	1017.84	1138.14	2296.66
78	सीसा और उसकी सामग्री	2.13	15.33	11.83	1.7	0.81
79	जिंक और उसकी सामग्री	295.08	71.2	91.52	20.77	25.82
80	टिन और उसकी सामग्री	290.71	5.81	4.11	3.16	3.98
81	अन्य आधार धातु; सेरमेट्स; उसकी सामग्री	214.36	246.16	220.92	174.95	375.19
82	उपकरण, कटलरी, चम्मच और आधार धातु के कांटे; आधार धातु के उसके हिस्से	298.05	339.97	336.55	394.51	499.56
83	आधार धातु के विविध सामग्री	424.77	407.89	407.25	332.89	523.21
84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके भाग	14255.75	14214.64	14126.44	14738.28	20907.33
85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके पुर्जे; साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर , और पार्ट्स।	29151.99	21207.08	19966.48	21045.9	30726.25
86	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग-स्टॉक और उसके पुर्जे; रेलवे या ट्रामवे ट्रैक फिक्स्चर और फिटिंग और उसके पुर्जे; यांत्रिक	132.03	183.93	207.74	183.34	164.82
87	रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, और उसके पुर्जे और सक्सेसरिज	1543.43	1619.84	1361.15	1490.29	1854.67

88	विमान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे।	40.39	23.52	27.64	11.41	11.94
89		1208.98	78.81	73.17	83.27	84.68
90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक सिनेमैटोग्राफिक माप, सटीक जांच, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा संस्थान। और उपकरण के पुर्जे और उसके एक्सेसरिज	1818.45	1738.02	1507.17	1926.94	2731.82
91	क्लॉक और घड़ी और उनके पुर्जे	97.93	50.25	49.2	30.82	55.56
92	संगीत वाद्ययंत्र; ऐसे लेखों के भाग और सहायक उपकरण।	33.92	39.36	31.27	35.22	37.12
93		0.08	0.02	0.08	0.05	0
94	फर्नीचर; बिस्तर, गद्दे, गद्दे का सपोर्ट, कुशन और इसी तरह की भरवां फर्निशिंग; लैंप और लाइटिंग फिटिंग अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं	1219.62	1005	912.04	603.48	730.73
95	खिलौने, खेल और खेल संबंधी आवश्यकताएं; उसके पुर्जे और एक्सेसरीज	491.67	457.12	408.9	297.04	252.1
96	विविध निर्मित सामग्री	317.62	348.1	359.98	317.56	376.13
97	कला संग्रहकर्ताओं के टुकड़े और पुरातन अवशेष	111.36	3.74	37.01	4.74	0.71
98	परियोजना वस्तु; कुछ विशेष उपयोग	614.22	555.81	441.56	350.29	202.17
99	विविध वस्तुएं	1.25	0.04	0.1	0.08	0.13
	चीन के साथ कुल व्यापार	89714.23	87071.84	81873.5	86399.4	115419.96

(स्रोतः डीजीसीआईएस)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1692

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन पर पाटन रोधी शुल्क

1692. श्री जयंत सिन्हा:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014 से जब तक भारत में आयातित रसायनों पर लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन देशों का ब्यौरा क्या है जहां से इनमें से प्रत्येक रसायन का आयात किया जाता है; और

(ग) मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल और टोल्यूनि डाइ-आइसोसायनेट जैसे कतिपय रसायनों के पाटन के बारे में चल रही जांच का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): केंद्र सरकार, अर्थात् वित्त मंत्रालय ने व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग की सिफारिश पर विभिन्न रसायनों/पेट्रोकेमिकल्स के आयात पर 2014 से, पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित किया है, जिसकी सूची **अनुबंध-I** पर है।

(ग): डीजीटीआर ने दिनांक 24 जून, 2022 के अपने अंतिम निष्कर्ष में वित्त मंत्रालय को चीन जन.गण, जापान और कोरिया जन.गण में उत्पन्न अथवा निर्यात किए गए टोल्यूनि डी-आइसोसाइनेट के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच में पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है।

डीजीटीआर द्वारा 28 जून, 2021 की अपनी अधिसूचना के तहत कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका से "मोनो एथिलीन ग्लाइकोल" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच आरंभ की गई थी और यह प्रगति पर है ।

अनुबंध-।

वर्ष 2014 से अधिरोपित रसायनों/पेट्रोकेमिकल के आयात पर पाटन रोधी शुल्क

क्र.सं.	**उत्पाद**	**शामिल देश (देशों)**
1.	सोडियम नाइट्राइट-।	चीन जन.गण
2.	रबड़ के कुछ रसायन-।	चीन जन.गण, यूरोपीय संघ
3.	एसीटोन	यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए
4.	फॉस्फोरिक एसिड	कोरिया जन.गण
5.	पैरानिट्रोएनिलिन	चीन जन.गण
6.	मीथाइलीन क्लोराइड	ईयू, यूएसए
7.	मेटा फेनिलीन डायमाइन (एमपीडीए)	चीन जन.गण
8.	सोडियम साइट्रेट	चीन जन.गण
9.	2-एथिल हेक्सानॉल	यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, कोरिया जन.गण, मलेशिया, चीनी ताइपे और यूएसए
10.	एन-ब्यूटानाल	यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए
11.	मिथाइल एसीटोएसेटेट	चीन जन.गण, यूएसए
12.	टोल्यूनि डी आइसोसाइनाइड्स (टीडीआई)	चीन जन.गण, जापान, कोरिया जन.गण
13.	अमोनियम नाइट्रेट	रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान
14.	सोडियम क्लोरेट	कनाडा, चीन जन.गण, यूरोपीय संघ
15.	सल्फोनेटेड नेप्थेलीन	चीन जन.गण
16.	डाइमिथाइलसेटामाइड	चीन जन.गण, तुर्की
17.	एमआईपीए	चीन जन.गण
18.	फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड	चीन जन.गण
19.	संतृप्त वसायुक्त अल्कोहल	इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड
20.	जिओलाइट-4ए	चीन जन.गण
21.	चीनी का	इंडोनेशिया

22.	क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड राल (सीपीवीसी) - चाहे आगे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं	चीन जन.गण, और कोरिया जन.गण
23.	80:20 . के अनुपात में आइसोमर सामग्री वाले टोल्यूनि डी-आइसोसाइनेट (टीडीआई)	यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, चीनी ताइपे और यूएई
24.	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन जन.गण
25.	रंगों का रासायनिक आधार	चीन जन.गण
26.	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन.गण
27.	फ्थेलिक एनहाइड्राइड	चीन जन.गण, इंडोनेशिया, कोरिया जन.गण, थाईलैंड
28.	कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल औद्योगिक वर्णक	चीन जन.गण
29.	सुगंधित या हेट्रोसायक्लिक यौगिकों के एसीटो एसिटाइल डेरिवेटिव्स को आर्यलाइड्स के रूप में भी जाना जाता है	चीन जन.गण
30.	अनुपचारित फ्यूमड सिलिका	चीन जन.गण
31.	सोडियम हाइड्रोसल्फाइट	चीन जन.गण और कोरिया जन.गण
32.	एचएफसी घटक	चीन जन.गण
33.	सिलिकॉन सीलेंट	चीन जन.गण
34.	एचएफसी ब्लेंड्स	चीन जन.गण
35.	"एन,एन-डायसाइक्लोहोक्साइल/कार्बोडायमाईक (डीसीसी)	चीन जन.गण

****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1698

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

"ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौता"

1698. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत फिर से शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य 2014 से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है;और

ख) यदि हां, तो प्रत्येक यूरोपीय देश के साथ किए गए वाणिज्य/व्यापार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

क): जी, हां। भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता जून 2022 में पुन: आरंभ हो गई है।

ख): भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच वर्ष-वार द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार है:

(मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में)

		निर्यात			आयात			कुल व्यापार		
क्र.सं.	यूरोपीय संघ के देश	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून, 2022	2020-21	2021-22	अप्रैल जून, 2022	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून, 2022
1	जर्मनी	8.12	9.88	2.63	13.64	14.96	3.50	21.77	**24.85**	6.13
2	बेल्जियम	5.24	10.08	2.62	6.94	9.95	2.72	12.18	**20.03**	5.34
3	नीदरलैंड	6.47	12.54	4.61	3.32	4.48	1.50	9.79	**17.02**	6.10
4	इटली	4.74	8.18	2.47	3.86	5.05	1.49	8.60	**13.23**	3.96
5	फ्रांस	4.78	6.64	1.91	4.34	5.78	0.84	9.13	**12.42**	2.75
6	स्पेन	3.24	4.73	1.29	1.51	2.05	1.23	4.75	**6.78**	2.51
7	पोलैंड	1.65	2.72	0.68	0.71	1.12	0.31	2.36	**3.85**	0.99
8	स्वीडन	0.76	1.04	0.26	1.00	1.45	0.43	1.77	**2.49**	0.68
9	डेनमार्क	0.76	0.94	0.26	0.59	0.89	0.21	1.34	**1.83**	0.46
10	आयरलैंड	0.56	0.69	0.15	0.41	1.14	0.58	0.98	**1.82**	0.73
11	ऑस्ट्रिया	0.45	0.56	0.22	0.62	0.83	0.20	1.08	**1.39**	0.42

		निर्यात			आयात			कुल व्यापार		
क्र.सं.	यूरोपीय संघ के देश	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून, 2022	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून, 2022	2020-21	2021-22	अप्रैल-जून, 2022
12	यूनान	0.55	1.08	0.17	0.14	0.30	0.05	0.69	1.38	0.22
13	पुर्तगाल	0.84	1.19	0.25	0.11	0.16	0.04	0.95	**1.36**	0.30
14	फ़िनलैंड	0.28	0.34	0.14	0.71	0.88	0.29	1.00	**1.22**	0.43
15	चेक गणराज्य	0.49	0.63	0.23	0.39	0.59	0.21	0.88	**1.22**	0.44
26	रोमानिया	0.37	0.59	0.22	0.19	0.26	0.07	0.57	**0.86**	0.29
17	हंगरी	0.50	0.55	0.15	0.22	0.29	0.09	0.71	**0.84**	0.24
18	स्लोवेनिया	0.35	0.49	0.14	0.27	0.30	0.06	0.63	**0.80**	0.21
19	क्रोएशिया	0.14	0.49	0.15	0.04	0.06	0.02	0.18	**0.55**	0.17
20	लिथुआनिया	0.16	0.33	0.14	0.32	0.20	0.02	0.48	**0.53**	0.16
21	माल्टा	0.32	0.48	0.19	0.02	0.02	0.03	0.34	**0.50**	0.23
22	बुल्गारिया	0.17	0.25	0.05	0.13	0.17	0.07	0.30	**0.42**	0.12
23	स्लोवाक गणराज्य	0.16	0.17	0.05	0.04	0.10	0.02	0.19	**0.27**	0.07
24	लातविया	0.10	0.13	0.04	0.05	0.13	0.06	0.15	**0.27**	0.10
25	साइप्रस	0.09	0.14	0.02	0.02	0.07	0.01	0.11	**0.21**	0.03
26	एस्तोनिया	0.05	0.06	0.03	0.06	0.07	0.02	0.11	**0.13**	0.05
27	लक्ज़मबर्ग	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07	0.01	0.04	**0.08**	0.03
	यूरोपीय संघ के देशों का कुल	**41.36**	**64.96**	**19.08**	**39.72**	**51.40**	**14.07**	**81.08**	**116.36**	**33.15**

(मूल्य बिलियन अमरीकी डॉलर में)

		निर्यात			आयात			कुल व्यापार		
क्र.सं.	यूरोपीय संघ के देश	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22	2019-20	2020-21	2021-22
1	जर्मनी	8.29	8.12	9.88	13.69	13.64	14.96	21.98	21.77	24.85
2	बेल्जियम	5.81	5.24	10.08	8.88	6.94	9.95	14.69	12.18	20.03
3	नीदरलैंड	8.37	6.47	12.54	3.39	3.32	4.48	11.76	9.79	17.02
4	इटली	4.97	4.74	8.18	4.49	3.86	5.05	9.46	8.60	13.23
5	फ्रांस	5.10	4.78	6.64	6.17	4.34	5.78	11.27	9.13	12.42
6	स्पेन	3.95	3.24	4.73	1.61	1.51	2.05	5.56	4.75	6.78
7	पोलैंड	1.55	1.65	2.72	0.85	0.71	1.12	2.40	2.36	3.85
8	स्वीडन	0.75	0.76	1.04	1.11	1.00	1.45	1.86	1.77	2.49
9	डेनमार्क	0.73	0.76	0.94	0.63	0.59	0.89	1.37	1.34	1.83
10	आयरलैंड	0.53	0.56	0.69	0.60	0.41	1.14	1.14	0.98	1.82
1 1	ऑस्ट्रिया	0.46	0.45	0.56	0.63	0.62	0.83	1.09	1.08	1.39
12	यूनान	0.45	0.55	1.08	0.12	0.14	0.30	0.57	0.69	1.38
13	पुर्तगाल	0.74	0.84	1.19	0.14	0.11	0.16	0.89	0.95	1.36
14	फिनलैंड	0.27	0.28	0.34	0.63	0.71	0.88	0.89	1.00	1.22
15	चेक गणराज्य	0.50	0.49	0.63	0.30	0.39	0.59	0.80	0.88	1.22
16	रोमानिया	0.37	0.37	0.59	0.26	0.19	0.26	0.63	0.57	0.86
17	हंगरी	0.42	0.50	0.55	0.19	0.22	0.29	0.61	0.71	0.84
18	स्लोवेनिया	0.33	0.35	0.49	0.25	0.27	0.30	0.58	0.63	0.80
19	क्रोएशिया	0.15	0.14	0.49	0.06	0.04	0.06	0.20	0.18	0.55
20	लिथुआनिया	0.11	0.16	0.33	0.26	0.32	0.20	0.37	0.48	0.53

21	माल्टा	0.21	0.32	0.48	0.12	0.02	0.02	0.33	0.34	0.50
22	बुल्गारिया	0.16	0.17	0.25	0.14	0.13	0.17	0.30	0.30	0.42
23	स्लोवाक गणराज्य	0.14	0.16	0.17	0.05	0.04	0.10	0.19	0.19	0.27
24	लातविया	0.12	0.10	0.13	0.27	0.05	0.13	0.38	0.15	0.27
25	साइप्रस	0.44	0.09	0.14	0.07	0.02	0.07	0.52	0.11	0.21
26	एस्तोनिया	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.12	0.11	0.13
27	लक्ज़मबर्ग	0.02	0.01	**0.01**	0.05	0.03	**0.07**	0.07	0.04	**0.08**
	यूरोपीय संघ के देशों का कुल	**44.99**	**41.36**	**64.96**	**45.04**	**39.72**	**51.40**	**90.03**	**81.08**	**116.36**

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1702

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात/आयात

1702 श्री राकेश सिंहः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले महीने आयात और निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात की तुलना में आयात का अनुपात कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या आयात–निर्यात में असंतुलन के कारण व्यापार घाटे को कम करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क) और (ख): समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) निर्यात जून, 2021 में 52.8 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर जून, 2022 में 64.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) आयात जून, 2021 में 52.9 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर जून, 2022 में 82.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।

(ग) से (च): कुल व्यापार में निर्यात और आयात का अनुपात 44:56 है। व्यापार घाटा आयात और निर्यात का कार्य है। घरेलू उत्पादन और आपूर्ति, उपभोक्ता मांग और विभिन्न उत्पादों के लिए वरीयताओं के बीच अंतर को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। कई आयात भारत में और आगे विनिर्माण और निर्यात के लिए इनुपुट हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) कोविड–19 महामारी की स्थिति के कारण विदेश व्यापार नीति (2015–20) को दिनांक 30.09.2022 तक बढ़ाया गया है।

(ii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

(iii) श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को 07.03.2019 से लागू किया गया है।

(iv) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को दिनांक 01.01.2021 से लागू किया गया है।

(v) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने हेतु उद्गम प्रमाण पत्र के लिए कॉमन डिजीटल प्लेटफॉर्म शुरु किया गया है।

(vi) विशिष्ट कार्य योजनाओं के द्वारा सेवा निर्यातों को बढ़ावा देने और विविधीकरण करने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया गया है।

(vii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद की पहचान करके इन उत्पादों के निर्यात के लिए बाधाओं को दूर करना और जिले में रोजगार पैदा करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं का समर्थन करने के उद्देश्य से जिले को निर्यात हब के रुप में लांच किया गया है।

(viii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्य को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशन की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है।

(ix) कोविड महामारी के संदर्भ में घरेलू उद्योग, विशेष रुप से एमएसएमई, जिसका निर्यात में मुख्य हिस्सेदारी है के समर्थन के लिए विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में राहत के उपायों के माध्यम से पैकेज की घोषणा की गई है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1703

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात–गंतव्यों सहित मुक्त व्यापार समझौते

1703. **श्री रघु राम कृष्ण राजू:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को प्रशुल्क रियायतें प्राप्त बांग्लादेश और कंबोडिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच परिधान नौवहन संवर्धन हेतु यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है तथा उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत ने अब तक परिधानों सहित अपने उत्पादों के लिए अधिमानी पहुंच के लिए अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ 13 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमानी व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। व्यापारिक भागीदारों के साथ आपसी समझौते के साथ एफटीए वार्ताएं की जाती हैं। वर्तमान में, भारत यूरोपीय संघ, कनाडा, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम सहित अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ एफटीए वार्ता कर रहा है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1715

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉफी उत्पादक

1715. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कर्नाटक के मलनाड जिलों नामत: कोडागु (कुर्ग), चिकमगलूर और विशेषरूप से हसन लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सकलेशपुर में अलूर और बेलूर ब्लॉक, जो देश का एक प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र है, कटाई के मौसम के बीच बेमौसम भारी बारिश की दोहरी मार और फसलों के नुकसान के कारण कॉफी उत्पादकों के संकट से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो भूस्खलन और भारी वर्षा के कारण फसल क्षेत्र को हुए नुकसान का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार संकटग्रस्त कॉफी बागान मालिकों को उर्वरक, रसायन और श्रम की लागत को ध्यान में रखते हुए अल्प मुआवजा दे रही है;

(घ) यदि हां, तो किसानों को प्रति एकड़ भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या सरकार की कॉफी बागान मालिकों द्वारा लिए गए ऋण को माफ करने और संकटग्रस्त किसानों के हितों की रक्षा के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में बेमौसम बारिश ने कॉफी की तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही अरेबिका फसल की कटाई और प्रसंस्करण को बाधित किया है । पिछले कटाई के मौसम (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक) में दर्ज की गई अरेबिका की क्षेत्रवार फसल की हानि निम्नानुसार है :

ज़िला	उत्पादकों की संख्या	कॉफी के अंतर्गत कुल सीमा (हेक्टेयर में)	उत्पादन की हानि (एमटी)
चिक्कमगलुरु	15368	49300	11500
हसन	10554	26027	3995
कोडागु	7456	24103	7645
कुल योग	33,378	99,430	23,140

हसन जिले के तालुकों में फसल की हानि का विवरण इस प्रकार है :

तालुक का नाम	नुकसान की औसत सीमा (%)	उत्पादकों की संख्या	कॉफी के अंतर्गत कुल सीमा (हेक्टयर में)	उत्पादन की हानि (एमटी)
सकलेश्पुर	35	4454	9840	2380
अलूर	35	1935	5293	1095
बेलूर	33	3759	10160	320
अरकलगुड	35	406	734	200
कुल		10554	26027	3995

स्रोत : कॉफी बोर्ड

(ग) और (घ): जिला प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के अंतर्गत विस्तारित वित्तीय सहायता रू.18000/हेक्टेयर है, जहां फसल का नुकसान 33% और उससे अधिक है, जिसकी सीमा 2 हेक्टेयर प्रति किसान के अधीन है। इसके अतिरिक्त, कॉफी बोर्ड ने अपनी योजना "एकीकृत कॉफी विकास परियोजना "के माध्यम से पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष 2018-19 से 2021- 22 के दौरान कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए विभिन्न अंत:क्षेपों जैसे कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, सम्पदा के मशीनीकरण की सहायता, कॉफी क्षेत्र विकास, बाजार विकास, मूल्यवर्धन और अनुसंधान और विकास आदि की सहायता के लिए रू. 175.01 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

(ड.) और (च): आरबीआई द्वारा 17.10.2018 को जारी दिशानिर्देश प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणों की पुन: संरचना का प्रावधान करते हैं । कॉफी उत्पादक रु.3 लाख तक ब्याज मुक्त फसल ऋण के लिए पात्र हैं ।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1717

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

गोमांस का निर्यात

1717. श्री एस. वेंकटेशन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्त वर्ष 2021 और 2022 में भारत से कुल कितने मूल्य का गोमांस निर्यात हुआ;

(ख) गोमांस के वैश्विक निर्यात में भारत की कितनी हिस्सेदारी है और इसमें भारत का स्थान क्या है;

(ग) पहली पांच शीर्ष कार्यनिष्पादन करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं जो गोमांस का निर्यात करती हैं; और

(घ) गोमांस निर्यात के माध्यम से अधिक विदेशी मुद्रा आय अर्जित करने के लिए सरकार की पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): निर्यात नीति के अनुसार, गोमांस का निर्यात जिसमें गायों, बैलों और बछड़ों का मांस और खाद्य छिछड़े शामिल हैं, निषिद्ध श्रेणी के अंतर्गत है और इसके निर्यात की अनुमति नहीं है।

(ख), (ग) और (घ): उपरोक्त उत्तर (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता ।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1718

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

उद्यम विकास और सेवा केन्द्र विधेयक

1718. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. जयंत कुमार राय:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम में संशोधन करने के लिए 'उद्यम विकास और सेवा केंद्र विधेयक' का प्रारूप जारी किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए समयबद्ध अनुमोदन प्रदान करने हेतु एक एकीकृत एकल खिड़की निकासी तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) विधेयक के प्रारूप में प्रस्तावित अन्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा देश में एसईजेडएस के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): मसौदा 'विकास (उद्यम और सेवा) हब विधेयक, 2022' अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अन्तर्गत है और प्राप्त निविष्टि के आधार पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन हेतु विधेयक के प्रावधानों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(च): एसईजेड विकासक/इकाइयों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ाने हेतु कई उपाय शुरू किए गए हैं, जैसा कि **अनुबंध** में विवरण दिया है।

*****

27 जुलाई,2022 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1718 का अनुबंध

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाने के उपाय:

1. निवल विदेशी मुद्रा अर्जन मानदंड की गणना की पद्धति की समीक्षा की गई और दिनांक 07 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा उसमें संशोधन किया गया।

2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई के लिए इसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए निवल विदेशी मुद्रा की गणना की सुविधा के लिए नियम 53ए अंतर्वेशित किया गया है।

3. एसईजेड को सेवाओं की एक समान सूची जो इनपुट सेवाओं की एक विस्तृत सूची है जिसका उपयोग एसईजेड इकाइयों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के परिचालन के लिए किया जा सकता है, जिससे ऐसे प्रत्येक मामले के लिए विकास आयुक्तों की अनुमति लेने के लिए इकाइयों की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

4. एसईजेड इकाइयों को अनुमत कैफेटेरिया, व्यायामशाला, शिशु-गृह और अन्य समान सुविधाओं/सुख –सुविधाएं की स्थापना।

5. विकास आयुक्त को उनके क्षेत्राधिकार में एसईजेड इकाई को एक एसईजेड से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन।

6. आईटी/आईटीइएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए मार्च-2019 में एसईजेड नियमों में संशोधन।

7. मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में परित्यक्त वस्तुओं/अनिकासित कार्गो की निकासी के लिए दिशानिर्देश।

8. एन्क्लेव के लिए "डी-नोटिफाई" प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और केवल एसईजेड के उद्देश्य के लिए इसके वर्तमान अनिवार्य उपयोग को अलग करना।

9. विनिर्माण क्षेत्र की सेवाकरण को सक्षम बनाने के लिए सहायता। विनिर्माण समर्थ सेवा कंपनियों जैसे अनुसंधान एवं विकास सेवाएं,(आर एंड डी) इंजीनियरिंग डिजाइन सेवाएं, लॉजिस्टिक सेवा को अनुमति देना।

10. विकासकर्ताओं को राज्य की नीतियों के अनुरूप क्षेत्रों में हितधारकों के साथ दीर्घकालिक पट्टा समझौते में प्रवेश करने के लिए लचीलेपन की अनुमति है।

11. एक सह-विकासकर्ता से दूसरे सह-विकासकर्ता को अनुमोदन के हस्तांतरण के लिए प्रावधानों को सक्षम बनाना।

12. एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्टों और किसी अन्य संस्था को समर्थ बनाने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 [धारा 2 (v)] में संशोधन।

13. मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति पर ड्राबैक और किसी भी अन्य समान लाभ की स्वीकार्यता के संबंध में दिनांक 23.10.2020 के संशोधन द्वारा एक परंतुक एसईजेड नियमों के नियम 24(3) में जोड़ा गया है।

14. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21ए अंतर्विष्ट किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के तहत अधिसूचित बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा इकाई स्थापित करने में समर्थ बनाता है।

15. इस विभाग के दिनांक 07.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ऊर्जा दिशा-निर्देश, 2016 में संशोधन किया गया है, जिसमें एक इकाई को अपने परिसर में गैर-पारंपरिक ऊर्जा संयंत्रों को कैप्टिव खपत के अनन्य उद्देश्य के लिए इस शर्त के अधीन स्थापित करने की अनुमति दी गई है कि एसईजेडअधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत गैर-कर/शुल्क लाभ निर्धारित किया गया है ।

16. दिनांक 27.05.2021 को एसईजेड/ईओयू में पुराने/प्रयुक्त कपड़ों और प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए नीति से संबंधित निर्देश संख्या 106, जारी किए गए थे।

17. सभी विकास आयुक्तों को फार्मा उद्योग के लिए विनियामक अनुपालन कम करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को निर्देश संख्या 107 जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के साथ भारतीय खाद्य मानक और सुरक्षा और सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के एकीकरण को लाइव कर दिया गया है।

18. एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74 के तहत मौजूदा इकाई द्वारा स्थान के हस्तांतरण की वैकल्पिक विधि से संबंधित निर्देश संख्या 108 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया है।

19. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को निर्देश संख्या 109 जारी किए गए है जिसमें प्रावधान है कि नाम परिवर्तन, शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था, न्यायालय अनुमोदित विलय और डीमर्जर, संरचना में परिवर्तन, निदेशकों के परिवर्तन आदि सहित पुनर्गठन संबंधित इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा इस शर्त के अधीन किया जा सकता है कि विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता/इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प का चयन नहीं करेंगे या बाहर नहीं निकलेंगे और एक चल रही संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

20. एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 43 ए अंतर्विष्ट किया गया है जो एसईजेड इकाइयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देता है।

****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं.1727
वाणिज्य विभाग

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात ऋण विकास योजना

1727. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

श्री राजा अमरेश्वर नाईक:

श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने अधिक बीमा कवरेज, कम प्रीमियम और दावा निपटान के लिए सरलीकृत प्रक्रिया के साथ अधिक निर्यात ऋण संवितरण प्राप्त करने के लिए एक नई योजना निर्यात ऋण विकास योजना (निर्विक) शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एकल खिड़की ई-लॉजिस्टिक्स बाजार बनाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने एक पोर्टल विकसित करने के लिए निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ स्थापित करने और निवेशकों को हर प्रकार की सुविधा और सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): बैंकों हेतु मौजूदा संपूर्ण कारोबार निर्यात ऋण बीमा के अन्तर्गत छोटे निर्यातकों के लिए वर्धित कवर प्रदान करने के लिए एक समुन्नत स्कीम लाने के अभिप्राय के साथ बाजार की बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्यात ऋण विकास योजना (निर्विक) की पुनः जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): मसौदा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति आवश्यक हितधारकों के परामर्श के बाद तैयार की गई है और इसे अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।

(ड.) और (च): बजट भाषण 2020-21 में, माननीय वित्त मंत्री ने एक निवेश निकासी प्रकोष्ठ (आईसीसी) स्थापित करने की योजना की घोषणा की, जो निवेश-पूर्व परामर्श सहित निवेशकों को "आद्योपान्त" सुविधा और सहायता प्रदान करेगा, भूमि बैंकों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा

और केंद्र और राज्य स्तर पर मंजूरी की सुविधा प्रदान करेगा। सेल को एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित करने का प्रस्ताव दिया गया था।

तत्पश्चात, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने निवेश इंडिया के साथ पोर्टल को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की। देश में सभी विनियामक अनुमोदनों और सेवाओं को लेने के लिए वन- स्टॉप के रूप में परिकल्पित, एनएसडब्ल्यूएस (www.nsws.gov.in) को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा 22 सितंबर, 2021 को सॉफ्ट लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय पोर्टल भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की मौजूदा मंजूरी प्रणाली को उनके मौजूदा आईटी पोर्टलों में बिना किसी व्यवधान के एकीकृत करता है।

वर्तमान में केंद्रीय अनुमोदन 23 मंत्रालयों/विभागों में एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के माध्यम से लागू करने में सक्षम हैं और 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एकल खिड़की प्रणाली को एनएसडब्ल्यूएस पोर्टल के साथ जोड़ा गया है, जिससे इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुमोदनों तक पहुंच प्रदान की गई है, जिसे एकल लॉगिन आईडी के माध्यम से अनुप्रयुक्त किया जाएगा।

अपने अनुमोदनों को जानिए (केवाईए) मॉड्यूल एक सूचना विजार्ड है जो निवेशकों को आवश्यक संचालन-पूर्व अनुमोदन/लागू लाइसेंसों जो की एक संकेतक सूची की पहचान करने के लिए मार्गदर्शन करता है, एनएसडब्ल्यूएस पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक अनुमोदनों के साथ लाइव है ।

एनएसडब्ल्यूएस के कार्यक्षेत्र का विस्तार भी किया गया है जिसने वाहन स्क्रैपिंग स्कीम, भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के संयुक्त अनुमोदनों को इक्कठा करके इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम के लिए ब्याज सब्वेंशन स्कीम जैसी विशेष स्कीमें शामिल है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1733

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय का निर्यात

1733. श्री ए.राजा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत द्वारा निर्यात की गई चाय की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;
(ख) क्या श्रीलंका द्वारा निर्यात न किए जाने के बावजूद भी चाय के निर्यात में कमी आई है;
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(घ) क्या हाल ही में कुछ देशों द्वारा चाय की खेप को अस्वीकृत कर दिया गया था;
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा कीटनाशक मुक्त गुणवत्तापूर्ण चाय का निर्यात सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय चाय व्यापार का लाभ उठाकर अधिकतम निर्यात करने और इसके द्वारा चाय उत्पादकों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विगत पांच वर्षों में भारत से चाय निर्यात की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	मात्रा (एम. किलोग्राम.)	मूल्य (करोड़ रुपये)
2017-18	256.57	5064.88
2018-19	254.50	5506.84
2019-20	241.34	5457.10
2020-21	203.79	5311.53
2021-22	200.79	5415.78

*स्रोत: चाय बोर्ड

(ख) और (ग): विगत कुछ वर्षों में चाय के निर्यात में गिरावट आई। कथित तौर-पर यह गिरावट कंटेनरों की अनुपलब्धता, नौपरिवहन कार्यक्रम में अव्यवस्था, लॉकडाउन और कोविड–19 के कारण बाजार में अनिश्चिचता तथा समग्र वैश्विक व्यापार में व्यवधान के कारण थी। तथापि, जनवरी-मई, 2022 के दौरान चाय का निर्यात विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 77.26 एम. किलोग्राम (मूल्य 2036.37 करोड़ रूपए) की तुलना में 83.49 एम. किलोग्राम (मूल्य 2116.75 करोड़ रुपये) था, जो मात्रा में 8.06% और मूल्य में 3.94% की वृद्धि दर्शाता है। त्वरित अनुमानों के अनुसार, चाय के निर्यात के मूल्य जून, 2021 में 390.28 करोड़ रूपए की तुलना में जून, 2022 में 500.03 करोड़ रूपए है, जो 28.12% की वृद्धि को दर्शाता है।

(घ) और (ड.): भारतीय चाय निर्यातक संघ ने चाय बोर्ड को इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी चाय की खेप की वापसी की सूचना नहीं दी गई है।

(च): चाय बोर्ड और चाय उद्योग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत से निर्यात की जा रही चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों की कार्यनीति बनाई जाए। चाय बोर्ड द्वारा सतत आधार पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

i. "अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी)" के लिए वृक्षारोपण में "पौध संरक्षण संहिता (पीपीसी)" और "अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी)" के लिए कारखाना स्तर पर "फ़ैक्टरी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)" का प्रवर्तन।

ii. फ़ैक्टरी स्तर पर एफएसएसएआई मापदंडों के साथ अनुरूपता की जाँच के लिए नमूना चाय का अनिवार्य परीक्षण (वर्ष में दो बार)।

iii. जीएपी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधारभूत स्तर पर छोटे चाय उत्पादकों के लिए नियमित जागरूकता शिविर/कार्यशालाएं।

iv. प्रति वर्ष दिसंबर के आरंभ में सभी फैक्ट्रियों को अनिवार्य रूप से बंद करने से भी प्रणाली में अवमानक चाय के प्रवाह को रोकने में मदद मिलती है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1745

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

जैविक प्रमाणीकरण

1745 .श्री के.नवासखनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह आया है कि जैविक खेती करने वाले अधिकांश किसान जैविक प्रमाणीकरण से अवगत नहीं हैं या इसे प्राप्त करने में असमर्थ हैं; और

(ख)यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : भारत में जैविक खेती वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के तहत की जाती है। किफायती लागत पर प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए, सरकार ने पीजीएस लॉन्च किया है, जो किसान समूह केंद्रित है, इसके लिए बहुत कम प्रलेखन की आवश्यकता होती है और इसकी लागत बहुत कम है। वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एनपीओपी और पीजीएस दोनों के तहत जैविक प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वेबिनार आदि आयोजित करता है। एपीडा ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ के सहयोग से जैविक प्रमाणन पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी आयोजित किया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) के माध्यम से भी वर्चुअल के साथ-साथ वास्तविक रूप में विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। अब तक लगभग 25 लाख किसानों को एनपीओपी के तहत पंजीकृत किया गया है, जबकि लगभग 13 लाख किसान पीजीएस-इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1773

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कृषि निर्यात

1773. श्री विवेक नारायण शेजवलकरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्तमान में निर्यात किए जा रहे 45 प्रमुख कृषि उत्पादों को अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): कृषि उत्पाद निर्यात किसानों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजार का लाभ लेने में मदद करते हैं जिससे उनकी फसल का बेहतर और लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1773 के भाग (क) के उत्तर हेतु संदर्भित विवरण

वर्तमान में निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पाद नीचे दिए गए है:

क्र.सं.	कृषि उत्पाद	क्र.सं.	कृषि उत्पाद
1	चाय	26	ताजी सब्जियाँ
2	कॉफी	27	संसाधित सब्जियां
3	चावल–बासमती	28	संसाधित फल और जूस
4	चावल (बासमती के अलावा)	29	अनाज विनिर्मितियां
5	गेहूँ	30	कोको उत्पाद
6	अन्य अनाज	31	पिसे हुए उत्पाद
7	दाल	32	विविध संसाधित मदें
8	तंबाकू अविनिर्मित	33	पशु आवरण
9	तंबाकू विनिर्मित	34	भैंस का मांस
10	मसाले	35	भेंड़/बकरी का मांस
11	काजू	36	अन्य मांस
12	काजू नट शेल लिक्विड	37	प्रोसेस्ड मांस
13	तिल के बीज	38	डेयरी उत्पाद
14	नाइजर बीज	39	कुक्कुट उत्पाद
15	मूंगफली	40	फूलों की खेती के उत्पाद
16	अन्य तिलहन	41	प्राकृतिक रबर
17	वनस्पति तेल	42	मादक पेय
18	खली	43	समुद्री उत्पाद
19	ग्वारगम मील	44	आयुष और हर्बल उत्पाद
20	अरंडी का तेल	45	अपशिष्ट सहित कपास कच्चा
21	शेलक		
22	चीनी		
23	गुड़		
24	फल/सब्जी बीज		
25	ताजा फल		

स्रोतः डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1802

दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

बंद चाय बागान

1802. श्री राजू बिष्ट:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उत्तर बंगाल के जिलों में बंद चाय बागानों का ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन बंद चाय बागानों को पुन: खोलने और उनका समुचित कार्यकरण सुनिचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे है;

(ग) क्या सरकार को राज्य में बंद चाय बागानों के अधिग्रहण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) चाय बोर्ड द्वारा बंद चाय बागानों के प्रभावित श्रमिकों को चाय बोर्ड द्वारा प्रदान की गई कल्याणकारी योजनाओं, लाभों और आजीविका सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) चाय बोर्ड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, तथा श्रमिकों के कल्याण के लिए इस हेतु कितना धन आबंटित और उपयोग किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्तमान में, पश्चिम बंगाल राज्य में 8 चाय बागान बंद हैं। बंद चाय बागानों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): केंद्र सरकार द्वारा चाय बोर्ड के माध्यम से चाय बागानों की निगरानी की जाती है। विगत में राज्य सरकार द्वारा कुछ बंद चाय बागानों के भूमि पट्टे को रद्द करके और नए उद्यमी को खोजने के लिए भूमि पर कब्जा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बंद चाय बागानों में से एक को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक रूप से परिसमाप्त कर दिया गया था और ई-नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि, कोई संभावित खरीदार उपलब्ध नहीं था। एक और बंद चाय बागान (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), कोलकाता बेंच के निर्देश के अनुसार दिवालिया पेशेवर समाधान (आईआरपी) के अधिकार में है। आईआरपी समाधान योजना को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है।

(ग): पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की ओर से बंद चाय बागानों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ.): श्रमिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार, श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और उत्पादकों/श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से चाय बोर्ड ने 2017-18 से 2019-20 तक मध्यम अवधि की रूपरेखा अवधि के दौरान "चाय विकास और संवर्धन योजना" के दौरान मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के तहत कतिपय कल्याणकारी गतिविधियों को लागू किया है और इसे 2020-21, तक बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान एचआरडी घटक के तहत चाय बोर्ड द्वारा 7.83 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 2021-22 से 2025-26 तक 15 वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित "चाय विकास और संवर्धन योजना" में छोटे चाय उत्पादकों और उनके श्रमिकों के कल्याण के लिए एक घटक है।

अनुबंध

बंद चाय बागानों का विवरण

क्र. सं.	चाय बागान का नाम	ज़िला	बंद होने की तिथि
1	पानीघाट टी एस्टेट	दार्जिलिंग	10.10.2015
2	ढेकलापारा टी एस्टेट	अलीपुरद्वार	11.03.2006
3	बुंदापानी टी एस्टेट	अलीपुरद्वार	13.07.2013
4	धरणीपुर टी एस्टेट	जलपाईगुड़ी	21.10.2013
5	रेडबैंक टी एस्टेट	जलपाईगुड़ी	19.10.2013
6	सुरेंद्रनगर टी एस्टेट	जलपाईगुड़ी	19.10.2013
7	लंकापाड़ा टी एस्टेट	अलीपुरद्वार	जुलाई 2015
8	दुतेरिया टी एस्टेट	दार्जिलिंग	09.06.2019

****

भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं. 1812
(वाणिज्य विभाग)	

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कोझीकोड से निर्यात

1812. श्री एम.के. राघवनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कोझीकोड से अन्य देशों में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं के संबंध में कोई आंकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोझीकोड के इन निर्यातकों को कोई वित्तीय या निर्यात राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "एक जिला एक उत्पाद" योजना के अंतर्गत निर्यात हेतु प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है और यदि हां, तो कोझीकोड हेतु तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार की विभिन्न निर्यातगत राजसहायताओं को कम करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ.) क्या सरकार के पास फुटवियर उद्योग के लिए कोई निर्यात प्रोत्साहन योजना है और यदि हां, तो कोझीकोड के फुटवियर निर्यातकों के लिए उपलब्ध कराई गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) 2021–22 के दौरान कोझीकोड से अन्य देशों को निर्यात की गई मुख्य मदों में निम्नलिखित शामिल हैंः

क्र.सं.	वस्तु का विवरण	निर्यात मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर में) लगभग
1	पाइप, बायलर हेतु टेप्स, कॉक्स, वॉल्व और इसी प्रकार के उपकरण	13
2	लौहा अथवा इस्पात के ढलाई किए गए सामान	9
3	सब्ज़ियां, ताज़ी	4
4	फुटवियर	4
5	सुगंधित तेल	3
6	नारियल	3
7	गेहूं का आटा	3
8	नारियल तेल	3
9	केले	2
10	चिप्स, मिक्सचर आदि	2

(ख) से (ड.) वाणिज्य विभाग की "निर्यात हब के रूप में जिला" पहल के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) सहित विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। ओडीओपी के अंतर्गत मौटे तौर पर एक जिले में एक उत्पाद को चिन्हित कर देश के भीतर उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर ध्यान केन्द्रित था। "निर्यात हब के रूप में जिला" एक व्यापक पहल है, जो देश के सभी जिलों से बहुविध उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को कवर करती है। इसमें जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान, राज्य निर्यात संवर्द्धन समिति (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात सवंर्द्धन समिति (डीईपीसी) का गठन कर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्थागत तंत्र की स्थापना शामिल है। कोझीकोड जिले से निर्यात हब के रूप में जिले के अंतर्गत मानसूनी मालाबार अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफी, मालाबार मिर्च, फुटवियर उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। कोझीकोड जिले में डीईपीसी गठित की गई है और जिला निर्यात कार्य योजना भी तैयार की गई है।

इसके अतिरिक्त, इस पहल के अंतर्गत निर्यातकों को कोई सब्सिडी अथवा प्रोत्साहन मुहैया नहीं किया जाता है। तथापि, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात संवर्द्धन विभिन्न स्कीमें हैं जिनमें अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल की स्कीम (ईपीसीजी), निर्यात उत्पादों पर शुल्क अथवा करों की छूट संबंधी स्कीम (आरओडीटीईपी) शामिल हैं जो या तो सीमाशुल्क की छूट देती है या निर्यातित वस्तुओं पर वहन किए जाने वाले करों अथवा शुल्कों को निष्प्रभावी करती हैं। इन स्कीमों के तहत लाभ फुटवियर उद्योग को भी उपलबध हैं।

******

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1830

<u>दिनांक 27 जुलाई, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चाय की खेपें अस्वीकृत करना

1830. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों खरीदारों ने चाय की खेपों में कीटनाशकों और रसायनों के स्वीकार्य सीमा से अधिक होने के कारण इन खेपों की एक श्रृंखला को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की अस्वीकृतियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

<u>(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)</u>

(क) और (ख): भारतीय चाय निर्यातक संघ ने चाय बोर्ड को पुष्टि की है कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों द्वारा चाय की किसी भी खेप की वापसी की सूचना नहीं दी गई है। नीलामी प्रणाली के घरेलू चाय खरीदार नीलामी से खरीदी गई चाय के संबंध में स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता जांच करते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण सामने आए हैं जहां खरीदारों ने दावा किया था कि उनके द्वारा खरीदी गई चाय एफएसएसएआई मानकों का पालन नहीं करती है। विक्रेता, हालांकि, खरीदारों की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में चाय का पुन: परीक्षण किया गया जहां चाय सभी एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप थी। चाय बोर्ड ने उन चायों को दोबारा जांच के लिए भेजा है। पुन: परीक्षण के बाद यदि चाय एफएसएसएआई मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो उसे चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश 1959 के खंड 4 (घ) के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।

(ग): चाय बोर्ड और चाय उद्योग का यह निरंतर प्रयास रहा है कि भारत से निर्यात की जा रही चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों की रणनीति बनाई जाए। चाय बोर्ड द्वारा सतत आधार पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

i. "अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी)" के लिए वृक्षारोपण में "पौध संरक्षण संहिता (पीपीसी)" और "अच्छी विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी)" के लिए कारखाना स्तर पर "फ़ैक्टरी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफएसएमएस)" का प्रवर्तन।
ii. फ़ैक्टरी स्तर पर एफएसएसएआई मापदंडों के साथ अनुरूपता की जाँच के लिए नमूना चाय का अनिवार्य परीक्षण (वर्ष में दो बार)।
iii. जीएपी पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधारभूत स्तर पर छोटे चाय उत्पादकों के लिए नियमित जागरूकता शिविर/कार्यशालाएं।
iv. प्रति वर्ष दिसंबर के आरंभ में सभी फैक्ट्रियों को अनिवार्य रूप से बंद करने से भी प्रणाली में अवमानक चाय के प्रवाह को रोकने में मदद मिलती है।

****